न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–19 / 2019–20
चान्दनी गुप्ता, पति–संतोष कुमार, मेनरोड, दुमका
बनाम
स्टेट ऑफ झारखण्ड भाया अंचल अधिकारी, दुमका एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद संख्या – 19 / 2019–20 में चान्दनी गुप्ता, पति–संतोष कुमार, मेनरोड, दुमका, थाना–दुमका नगर, पो0+जिला–दुमका के द्वारा लक्ष्मी देवी मोदी, पति–सुशील कुमार मोदी एवं अन्य मेन रोड, दुमका एवं अंचल अधिकारी, दुमका के विरुद्ध दायर किया गया है जो अंचल अधिकारी, दुमका के नामान्तरण वाद संख्या – 59आर0 – 27 / 17–18 में पारित आदेश दिनांक–19.12.2017 एवं नामान्तरण वाद सं0–254 / आर0 27 में पारित आदेश दिनांक–19.09.2019 के विरुद्ध दाखिल किया गया है जो मौजा – दुमका टाउन दाग सं0 – 989, जमाबंदी सं0–18 / 27, थाना–दुमका नगर, वार्ड सं0–14, होल्डिंग नं0–13(पुराना) रकबा–03 कट्ठा 06 धूर (5.5)डी0 जिसपर दो मंजिला निर्मित मकान से संबंधित है। अपीलकर्ता द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि रामजीवन टिबरेवाल द्वारा डीड सं0–125 / 1920 द्वारा क्रय कर अपने नाम नामांतरण कराते हुए रजिस्टर–II में दर्ज किया है एवं उसमें वे अपने परिवार के साथ रहते थे। रामजीवन टिबरेवॉल की मृत्यु के पश्चात् दुमका अंचल के नामान्तरण वाद सं0–100 / 1970–71 से उनके पुत्र पवन टिबरेवाल द्वारा अपने नाम से नामान्तरण कराया गया। पवन कुमार टिबरेवाल की मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी टिबरेवॉल एवं उनके एकमात्र पुत्र राजीव कुमार टिबरेवाल उक्त जायदाद के उत्तराधिकारी हो जाते है। वर्णित भूमि पर स्थित दो मंजिला भवन के निचले भाग में 350 वर्गमीटर के खाली पड़े दुकान बिक्री / लीज के लिए प्रस्तावित था। उक्त खाली दुकान को प्रतिवादी सं0–2 लक्ष्मी देवी मोदी, पति सुशील कुमार मोदी के द्वारा विशेष Term and Condition (शर्त) पर बिक्रय डीड सं0–118, दिनांक–04.07. 2017 से क्रय किया गया। अपीलकर्ता द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित मकान में निमित 350वर्गमीटर के दुकान को बिक्री की गई है परंतु उक्त भू–भाग के शेष भाग की बिक्री	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	नहीं की गई है। लक्ष्मी देवी मोदी द्वारा व्यापार करने के लिए उक्त दुकान का क्रय किया गया है जिसे लक्ष्मी देवी मोदी द्वारा शपथ पत्र सं0–1575, दिनांक–11.04.2017 द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0–2 लक्ष्मी देवी द्वारा गलत तरीके से उक्त दुकान का भूमि एवं छत को अपने नाम से नामान्तरण कराना चाहती हैं । अपीलार्थी का यह भी कहना है कि कृष्णा देवी टिबरेवाल पति–स्व0 पवन कुमार टिबरेवाल एवं श्री राजीव कुमार टिबरेवाल निबंधित डीड के माध्यम से उन्हें शेष भूमि ब्रिकी की गई है। उपरोक्त नामान्तरण अपील के संबंध में अंचल अधिकारी, दुमका के पत्रांक–403, दिनांक–15.06.2020 में प्रतिवेदित किया गया है कि दाखिल खारिज वाद सं0–254 / 19–20 में आवेदिका श्रीमती चाँदनी गुप्ता, पति–संतोष कुमार का आवेदन खारिज किया गया है। आवेदिका द्वारा ऑनलाईन पंजी–II में दर्ज रकवा से ज्यादा रकवा का नामान्तरण हेतु आवेदन दायर किया गया था। जिसके कारण ऑनलाईन पंजी II से मिलान नहीं होने पर अग्रेत्तर प्रक्रिया नहीं होने के फलस्वरुप नामांतरण वाद अस्वीकृत किया गया है। प्रतिवादी लक्ष्मी देवी मोदी, पति–सुशील कुमार मोदी ने अपने लिखित जबाब में यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में वरीय सिविल न्यायधीश–I, दुमका के न्यायालय में Original Suit No-53/2018 विचाराधीन है। अतएव प्रस्तुत वाद की कार्रवाई में नामांतरण अपील को स्थगित किया जाता है। इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 28-09-2021 28-09-2021 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, दुमका भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.20 21:43:11 +05:30
Location: 192.168.225.52